राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(3)नविवि/मूलसागर (जैसलमेर)/2026 **जयपुर,दिनांकःयथा हस्ताक्षरित**

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर की सीमा में अभिष्ठ नगरीय क्षेत्र के लिए ग्राम मूलसागर के खसरा संख्या 220/106 रकबा 15.4772 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 223/107 रकबा 17.1575 हैक्टेयर कुल रकबा 32.6347 हैक्टेयर भूमि पर फार्म हाउस स्कीम योजना के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय किया गया है। इस योजना की सीमाऐं निम्नानुसार हैः–

1. उत्तर– खसरा संख्या 108 व 109
2. दक्षिण– खसरा संख्या 236/105
3. पूर्व खसरा संख्या 174/202, 174/201, 174/360, 175/237, 175/238, 175 व 175/204
4. पश्चिम खसरा संख्या 219/101, 224/107 व 221/106

उपरोक्त योजना के मौके का विवरण और उसका नक्शा नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्यदिवस में 3.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 32.6347 हैक्टर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 06 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, जिला कलक्टर, जैसलमेर।

RajKaj Ref No.:
22705421

6. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जैसलमेर ।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर ।
10. आयुक्त, नगर परिषद्, जैसलमेर।
11. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
12. सहायक निदेशक/प्रौग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता ळें
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :09-06-2026 12:28:14

RajKaj Ref No.: 22705421